सत्र वाद संख्या–611A / 2021,CIS-21611/2021

01.12.2023 :– एक मात्र अभियुक्त राहुल यादव अनुपस्थित है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर न अभियुक्त और न ही अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद में अभियुक्त विगत कई तिथि से अनुपस्थित चले आ रहे है। जबकि अभियुक्त की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा वारंट धारा 82 एवं 83 द0 प्र0 स0 का प्रोसेस निर्गत किया जा चुका है। फिर भी आज तक अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है तथा निकट भविष्य में भी इनके उपस्थित होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होता है।

अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त राहुल यादव को इस वाद में फरार घोषित किया जाता है।

कार्यालय लिपिक अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारंट निर्गत करे तथा फरारी पंजी में दर्ज करे। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करे।

ADJ-II, Naugachia.